

RTI MATTER

भारत सरकार
Government of India
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय
River Management Coordination Directorate

2nd Floor(S), सेवा भवन,
आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066.
दिनांक:18.06.2021.

सेवा मे

श्री आशीष त्रिपाठी,
हिंदुस्थान कार्यालय, पांचवीं मंजिल,
पदम टॉवर, सिविल लाइन्स,
कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-208001.

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री आशीष त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के आवेदन पत्र के सम्बंध में-
महोदय,

आपका RTI आवेदन पत्र Reg. NO. CWCND/R/X/21/00005, दिनांक 01.06.2021 एवं MOWRC/R/P/21/00059, दिनांक 01.06.2021, स्थानांतरण से अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, RTI Cell, 4th Floor(S), सेवा भवन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, पत्र सं: A-49012/8/2021/RTI/176, dated 03.06.2021 एवं ई-मेल, दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त एवं जिसे RM स्कन्ध के CPIO को हस्तांतरित किया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 03.06.2021 को प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में नदी प्रबन्ध स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की संबन्धित इकाईयों से प्राप्त सूचना के आधार पर सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएँ के जानकारी नदी प्रबन्ध स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है।

यदि आप प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप RTI Act, 2005 के तहत इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपील कर सकते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

मुख्य अभियंता (FMO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, नदी प्रबंधन स्कन्ध, केन्द्रीय जल आयोग, 6 वीं मंजिल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली -110066, फोन नं .011-26102112.

भवदीय

(दीपक कुमार)

निदेशक & CPIO

Phone No: 011-29583211/13

Email ID: rmdte@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, RTI Cell, 4th Floor(S), सेवा भवन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।